**भारत सरकार**
**नागर विमानन मंत्रालय**
**लोक सभा**
**लिखित प्रश्न संख्या : 3399**
**गुरुवार, 12 मार्च, 2026/21 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर**

# सोलापुर और शिरडी के बीच हवाई संपर्क

**3399. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदेः**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सोलापुर और शिरडी के बीच तीर्थयात्रियों के अत्यधिक आवागमन को ध्यान में रखते हुए उनके बीच सीधी उड़ान संपर्क शुरू करने की व्यवहार्यता और यात्रियों की मांग का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सोलापुर और शिरडी विमानपत्तनों पर मौजूदा अवसंरचना और परिचालनिक तैयारी इस क्षेत्र में निर्धारित वाणिज्यिक उड़ानों के संचालन के लिए पर्याप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उड़ान योजना के अंतर्गत सोलापुर और शिरडी के बीच सीधी उड़ानें शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है और इस संबंध में क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

**उत्तर**

**नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)**

(क) से (ग)**:** मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम को निरस्त करने से भारत में घरेलू विमानन क्षेत्र को अविनियमित कर दिया गया था। एयरलाइनें किसी भी प्रकार के विमान के साथ अपनी क्षमता बढ़ाने तथा ऐसे बाज़ारों और नेटवर्कों का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं, जहां वे सेवाएँ प्रदान करना चाहती हैं। इसलिए, देश के किसी भी हवाईअड्डे से या हवाईअड्डे के लिए हवाई सेवाएँ शुरू करना एयरलाइन प्रचालकों पर उनकी परिचालन और व्यावसायिक व्यवहार्यता के आधार पर निर्भर करता है;

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के स्वामित्व वाला सोलापुर हवाईअड्डा क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस)-उड़ान के तहत विकसित किया गया है और यह श्रेणी 2सी (वीएफआर) परिचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त है। सोलापुर हवाईअड्डे की विद्यमान अवसंरचना अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों के परिचालन के लिए पर्याप्त है। शिरडी हवाईअड्डे की अवसंरचना 24×7 परिचालन क्षमता के साथ श्रेणी 4सी आईएफआर परिचालनों के लिए डिजाइन की गई है;

आरसीएस-उड़ान बाज़ार -चालित योजना है, जिसके तहत एयरलाइन प्रचालक विशिष्ट मार्गों पर उड़ान परिचालन की व्यवहार्यता का आकलन करते हैं और समय-समय पर आयोजित बोली प्रकिया के चरणों के माध्यम से इस योजना में भाग लेते हैं। एयरलाइनों का चयन पारदर्शी

बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। यदि कोई एयरलाइन बोली प्रक्रिया के भावी चरण में अनुरोधित मार्गों के लिए वैध बोली प्रस्तुत करती है, तो उड़ान योजना के प्रावधानों के अनुसार उस पर विचार किया जा सकता है।

*********